

एकपक्षीय आदेश को आईन्दा तारीख पेशी पर विस्तारित करने से पूर्व युक्तियुक्त कारणों पर विचार किया जावेगा। तथा यदि आदेश को विस्तारित नहीं किया जाता है तो यह आदेश स्वतः ही शून्य माना जावेगा। अप्रार्थीगण के नोटिस की तामिल साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ नोटिस के साथ इस आदेश की प्रति सहित रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जावें। प्रार्थी उक्त नोटिसेज पुनः रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाकर पोस्टल रसीद तीन दिन में प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 26.08.2021 को पेश हो।

D

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

26/8 पत्रावली पेश हुई चकीव प्रार्थी उप. पत्रावली में परिवर्तित की तय्य से चकीव गाहरणी ने कटर रेफिंग सी जड़ी। वमर हाजारी हादीम्व तउ खगन बराम जाऊए वमरे वत्रावतनामा एवं जवाव पेश कमे हेतु दिनांक 29-21 को पेश हो।

lms
lms
lms

D

29/21 बाहुवात की प्रार्थना को जीठासीन अधिकारी अन्य प्रार्थना से अलग है। अतः पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार दिनांक... 29-11-21 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर

29/21 पत्रावली पेश हुई स्वयं वारी उप. पत्रावली में कटर युनवाइ का प्रार्थना पर पेश किया गया। वीये खीकट किया गया। वारी डाय पेश प्रार्थना पर कटर उप. प्रार्थना पर 212 मागे नहीं पताना जाहगा है। वारी के हस्ताक्षर भिजे गये। अतः पत्रावली केवल शुमार होकर गम्वर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी